जे.पी.आर5–805
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
*ईमेल – **se_comml@yahoo.in***

क्र0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी–I/पत्रा. /प्रे0 1015 जयपुर, दिनांक– 17.08-2016

आदेश

विषय : सघन वसूली अभियान

प्रायः यह देखा गया है कि उपभोक्ता अपना विद्युत उपभोग का बिल समय पर जमा नही करवाते हैं, तथा विद्युत सम्बन्ध विच्छेद के अभाव में निगम की बकाया राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जून–2016 तक विभिन्न श्रेणी के चालू उपभोक्ताओ के विरूद्ध निगम का रू1346 करोड़ बकाया है। निगम की बढ़ती हुई बकाया राशि को देखते हुए निगम द्वारा सघन वसूली अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक उपखण्ड में सबसे अधिक बकाया राशि वाले कम से कम 5 गांवो को चिन्हित किया जावें।
2. चिन्हित गांवों में सम्भवतः माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार अथवा अन्य सुविधाजनक दिवस को वसूली कैम्प का आयोजन किया जावे।
3. कैम्प के दौरान गांव में प्रत्येक बकाया राशि वाले उपभोक्ता से व्यक्तिगत सम्पर्क करके उसे बकाया राशि जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया जावे।
4. किसी उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर कैम्प के अंत में 15 दिन का कनेक्शन विच्छेद हेतु नोटिस दिया जावे।
5. उपखण्ड अधिकारी अभियान के दौरान Current Assesment शत प्रतिशत एवं पूर्व बकाया राशि का कम से कम 25% वसूल करना सुनिश्चित करें।
6. यह अभियान प्रतिमाह कम से कम नये 5 गांव चिन्हित कर आयोजित किया जावे।
7. शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक उपखण्ड में सर्वाधिक बकाया वाले क्षेत्र (Locality) का चयन करके बिन्दु संख्या 2 से 6 में वर्णित कार्यवाही की जावे।

अभियान चालू करने से पूर्व ही उपरोक्त वसूली अभियान का गाँववार/क्षेत्रवार विवरण मय कैम्प दिनांक के समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे एवं अभियान की सफलता के लिये जन–प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर उनका सहयोग भी लिया जावे।

अभियान के दौरान लगाये गये कैम्प की उपखण्डवार पाक्षिक सूचना जोनल मुख्य अभियन्ता संकलित कर अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

17/8/16

(के.के. पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)